लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 23 / 2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 05.03.2018

श्री सुधीर जारोली 12, न्यू अशोक विहार–4, सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के पास, उदयपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 27.03.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.01.2018 को स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 23 / 2018 / (27.03) / 207 दिनांक 05.03.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 27.03.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 27.03.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत किये।

प्रकरण संख्या 23 / 2018 (सू.अ.)
श्री सुधीर जारोली निवासी उदयपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 16.01.2018 से रामनाथ रातडिया द्वारा काका हजारीलाल भाई माधुलाल लक्ष्मीलाल के पक्ष में निष्पादित लिखित पर तावान जमा कराने हेतु वर्ष 1978 मे अतिरिक्त जिलाधीश चित्तौड़गढ़ को पेश प्रार्थना पत्र संबंधी 5 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जो उसे उपलब्ध नहीं कराना खेदजनक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना नि: शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./23/2018(सू.अ.)/ दिनांक:– / /2018

प्रतिलिपि:–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री सुधीर जारोली पिता श्री शान्तिलाल जारोली निवासी 12, न्यू अशोक विहार–4, सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के पास, उदयपुर

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)